प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा / अमरोहा।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2022**

विषयः- मेसर्स स्टोनमैन क्राफ्टस इण्डिया प्रा०लि०, आगरा द्वारा जनपद आगरा व अमरोहा में विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-89 (3) के अन्तर्गत विनियमितीकरण किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया जिलाधिकारी आगरा के पत्र संख्या-1662/प-242/डीएलआरसी, दिनांक-10.08.2022 एवं जिलाधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या-230 / भू०व्य0 सहा0/2022, दिनांक-15.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा मेसर्स स्टोनमैन क्राफ्टस इण्डिया प्रा०लि०, आगरा द्वारा जनपद आगरा व अमरोहा में विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-89(3) के अन्तर्गत विनियमित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में श्री राज्यपाल मेसर्स स्टोनमैन क्राफ्टस इण्डिया प्रा०लि०, आगरा द्वारा जनपद आगरा के ग्राम मंगूरा, तहसील किरावली में विहित सीमा से अधिक 14.8189 है० एवं ग्राम नीलीखेड़ी तहसील व जनपद अमरोहा में विहित सीमा से अधिक 1.4597 हे० अर्थात् कुल 16.2786 हे0 क्रय की गई भूमि के जुर्माने सहित विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) दिनांक 21.07.2020 को प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार संस्था द्वारा विहित सीमा 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी 16.2786 हे0 भूमि का कुल मूल्यांकन 6,23,81,360/-रूपये का 10 प्रतिशत धनराशि 62,38,136/- के सापेक्ष जनपद आगरा में 14.8189 हे0 भूमि के मूल्यांकन के 10 प्रतिशत धनराशि 56,10,465/- एवं जनपद अमरोहा की 1.4597 हे0 भूमि के मूल्यांकन के 10 प्रतिशत धनराशि 6,27,671/- क्रमश: जिलाधिकारी आगरा एवं जिलाधिकारी अमरोहा द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करायी जाएगी।

(2) यदि आवेदक, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग जनपद आगरा एवं अमरोहा में एकीकृत इकाईयों की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किए गए हैं, असंक्रमणीय श्रेणी के भूमिधरों की भूमि तो नहीं क्रय की गयी है, बिना अनुमति के अनुसूचित जाति की भूमि तो क्रय नहीं की गई है।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, आगरा एवं मुरादाबाद मण्डल।
4. श्री रजत अस्थाना, निदेशक, स्टोनमैन क्राफट्स, प्रा0लि0, 24-25, ईपीआईपी, यूपीएसआईडीसी इन्डस्ट्रियल एरिया, शास्त्रीपुरम, आगरा-282007
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।